भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1635

जिसका उत्तर 03 दिसम्बर, 2019/12 अग्रहायण, 1941 (शक) को दिया गया

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा बट्टे खाते में डाले गए ऋण

1635. श्री दिग्विजय सिंहः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अप्रैल, 2014 से सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कितने ऋण बट्टे खाते में डाले गए हैं;

(ख) बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के लाभभोगियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या किसी सरकारी क्षेत्र के बैंक अथवा सहकारी बैंक ने किसानों के ऋण बट्टे खाते में डाले हैं और इनकी तारीख क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ग): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का उनके घरेलू परिचालन में कुल सकल अग्रिम दिनांक 31.03.2008 की स्थिति के अनुसार, 16,98,109 करोड़ रुपए से बढ़कर दिनांक 31.03.2014 को 45,90,570 करोड़ रुपए हो गया। आरबीआई के द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दबावग्रस्त आस्तियों में अचानक हुई वृद्धि के पाए गए मुख्य कारणों में, अन्य बातों के साथ-साथ, आक्रामक उधार पद्धति, इरादतन चूक/ऋण धोखाधड़ी/कुछेक मामलों में भ्रष्टाचार तथा आर्थिक मंदी है। परिशुद्ध एवं पूर्णत: प्रावधानीकृत बैंक तुलन-पत्र के लिए वर्ष 2015 में शुरू की गई आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) से अनुपयोज्य आस्तियों (एनपीए) में अत्यधिक वृद्धि का पता चला। एक्यूआर तथा बैंकों द्वारा तदनंतर पारदर्शी पहचान के परिणामस्वरूप दबावग्रस्त खातों को एनपीए के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया तथा दबावग्रस्त ऋणों के संबंध में अनुमानित हानियों के लिए प्रावधान किए गए, जिनके लिए पुनर्संरचित ऋणों के लिए प्रदान किए गए लचीलेपन के अंतर्गत पूर्व में प्रावधान नहीं किए गए थे। इसके अलावा, दबावग्रस्त ऋणों की पुनर्संरचना संबंधी ऐसी सभी योजनाओं को वापस ले लिया गया था। मुख्यतया दबावग्रस्त आस्तियों की एनपीए के रूप में पारदर्शी पहचान के परिणामस्वरूप, घरेलू परिचालनों पर आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, पीएसबी का सकल एनपीए अनुपात दिनांक 31.3.2015 की स्थिति के अनुसार, 2,67,065 करोड़ रु. से बढ़कर दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार 8,45,475 करोड़ रु. हो गया। एनपीए की पारदर्शी पहचान, समाधान, पुनर्पूंजीकरण

और सुधार की सरकार की 4आर कार्यनीति के परिणामस्वरूप दिनांक 30.6.2019 की स्थिति के अनुसार 92,103 करोड़ रुपए घटकर 7,53,372 करोड़ रु. रह गया है।

आरबीआई के दिशानिर्देशों और बैंक बोर्डों द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ, अनुप्रयोज्य ऋणों सहित उन ऋणों, जिनका चार वर्ष पूरा होने पर पूर्ण प्रावधानीकरण किया गया है, को बट्टे खाते डालकर संबंधित बैंक के तुलन-पत्र से हटा दिया जाता है। बैंक आरबीआई के दिशानिर्देशों और अपने बोर्डों द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार अपने तुलन-पत्र को परिशुद्ध करने, कर लाभ प्राप्त करने और पूंजी को इष्टतम बनाने के लिए अपनी नियमित प्रक्रिया के रूप में अनुप्रयोज्य आस्तियों को स्वयं बट्टे खाते डालते हैं। चूंकि बट्टे खाते डाले गए ऋणों के उधारकर्ता पुनर्भुगतान के लिए उत्तरदायी बने रहते हैं और बट्टे खाते डाले गए ऋण खातों में उधारकर्ता से देयराशियों की वसूली की प्रक्रिया चलती रहती है, बट्टे खाते डाले जाने से उधारकर्ता को कोई लाभ नहीं होता है। घरेलू परिचालन पर आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, पीएसबी ने वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के दौरान क्रमशः 47,658 करोड़ रुपए, 56,847 करोड़ रुपए, 79,048 करोड़ रुपए, 1,24,275 करोड़ रुपए और 1,86,632 करोड़ रुपए को बट्टे खाते डाला है। इनमें से "कृषि और संबद्ध क्रियाकलापों" से संबंधित बट्टे खाते वाली ऋण राशि क्रमशः 2,833 करोड़ रुपए 6,361 करोड़ रुपए, 7,091 करोड़ रुपए, 10,345 करोड़ रुपए और 12,556 करोड़ रुपए था। आरबीआई ने यह भी सूचित किया है कि पीएसबी द्वारा बट्टे खाते डाले गये किसानों के ऋणों के संबंध में आंकड़े पृथक् रूप से नहीं रखे जाते हैं।

आरबीआई ने सूचित किया है कि शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा बट्टे खाते डाले गए किसानों के ऋणों सहित इसके द्वारा बट्टे खाते डाले गए ऋणों के संबंध में आंकड़े इनके द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), जो ग्रामीण सहकारी बैंकों की निगरानी करता है, ने सूचित किया है कि राज्य सहकारी बैंकों और जिला सहकारी बैंकों ने वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19 में क्रमशः 415.78 करोड़ रुपए, 696.33 करोड़ रुपए, 120.14 करोड़ रुपए, 70.39 करोड़ रुपए और 78.33 करोड़ रुपए के ऋणों को बट्टे खाते डाला और इन बैंकों द्वारा बट्टे खाते डाले गए किसानों के ऋणों का ब्यौरा इनके द्वारा नहीं रखा जाता है।

टिप्पणी: *पीएसबी के लिए उपर्युक्त दिए गए आंकड़े में आईडीबीआई बैंक लि., के आंकड़े भी शामिल हैं जिसे आरबीआई द्वारा 21.1.2019 से निजी क्षेत्र के एक बैंक के रूप में पुनर्वर्गीकृत (श्रेणीबद्ध) किया गया था।*

*****